

सं0सं0-7 / संक्रा0रोग अस्प0, पटना-16-01 / 2018- 17 (7) 4

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
संक्रामक रोग अस्पताल, पटना।

पटना, दिनांक 12-06-2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0011 संक्रामक रोग अस्पताल, पटना उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210011100011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹2,12,87,400/- (दो करोड़ बारह लाख सतासी हजार चार सौ रु.) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹2,12,87,400/- (दो करोड़ बारह लाख सतासी हजार चार सौ रु.) मात्र का आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0011 संक्रामक रोग अस्पताल, पटना उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210011100011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

किया जायेगा।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, संक्रामक रोग अस्पताल, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।


1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं।

← 2/3/

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।
7. क्रय सम्वन्धी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा।
8. आवंटित राशि से किए गए क्य में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
10. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन, /



(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव
रजि

ज्ञापांक : 17(7)A

पटना, दिनांक : 12-06-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप. कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव
रजि

आवंटन/उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5
1	वेतन (0011-01-01)	15000000	12000000	3000000
2	जीवन यापन भत्ता (0011-01-03)	3101000	2480800	620200
3	मकान किराया भत्ता (0011-01-04)	3308000	2646400	661600
4	परिवहन भत्ता (0011-01-05)	180000	144000	36000
5	चिकित्सा भत्ता (0011-01-06)	360000	288000	72000
6	अन्य भत्ता (0011-01-07)	1034000	827200	206800
	योग 20-2210.01.110.0011.01 वेतन	22983000	18386400	4596600
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0011-06-01)	200000	0	200000
8	यात्रा व्यय (0011-11-01)	100000	50000	50000
9	कार्यालय व्यय (0011-13-01)	200000	100000	100000
9	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव (0011-13-02)	1000	0	1000
10	दूरभाष (0011-13-03)	25000	12500	12500
11	विद्युत प्रभार (0011-13-04)	500000	375000	125000
12	विधि प्रभार (0011-13-05)	50000	25000	25000
13	वर्दी/ पोषाक (0011-13-06)	100000	50000	50000
14	प्रशिक्षण व्यय (0011-20-03)	377000	188500	188500
15	सामग्री एवं पूर्तियों (0011-21-01)	300000	150000	150000
16	दवा भंडार (0011-21-02)	2500000	1250000	1250000
17	आहार/ पथ्य (0011-21-03)	240000	120000	120000
18	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0011-27-02)	1000	0	1000
19	संविदा सेवाएँ (0011-28-02)	1000000	500000	500000
20	मशीने एवं उपस्कर (0011-52-01)	160000	80000	80000
	कुल	28737000	21287400	7449600

(दो करोड़ बारह लाख सतासी हजार चार सौ रु.) मात्र

17 (7)0
12-06-18

सरकार के विशेष सचिव
रजिस्ट्रार
12/6/18